प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 22.04.2026

अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था सुदृढ़ीकरण एवं विभिन्न अभियानों की समीक्षा गोष्ठी के सम्बन्ध में।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स स्थित परमजीत हॉल में दिनांक 21.04.2026 को अधीनस्थ अधिकारियों के साथ **अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था सुदृढ़ीकरण एवं विभिन्न जागरुकता एवं प्रवर्तन अभियानों की प्रगति की समीक्षा** के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की गई।

गोष्ठी में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय/अपराध, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था/यातायात, समस्त जोनल पुलिस उपायुक्त, समस्त सहायक पुलिस आयुक्त एवं समस्त थाना प्रभारी उपस्थित रहे।

गोष्ठी में निम्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए -

- **मालों के निस्तारण** सम्बन्धी कार्यवाही का विवरण एवं निस्तारण की प्रगति का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। मालों के निस्तारण हेतु न्यायालयीन आदेशों के अनुपालन, विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कराते हुए निर्धारित समयसीमा के अन्दर निस्तारण कराने हेतु दिशा-निर्दश प्रदान किये गये।
- अवैध नशे के कारोबार, उसके सेवन तथा अवैध शस्त्रों की तस्करी एवं रखरखाव के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाये जा रहे **ऑपरेशन प्रहार** के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2026 से 20.04.2026 तक की गयी कार्यवाही की समीक्षा की गई तथा भविष्य की कार्ययोजना के सम्बन्ध में सम्बन्धित को दिशा-निर्देश प्रदान किये गये।
- **ऑपरेशन कनविक्शन** के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों की स्थिति का आकलन किया गया। सम्बन्धित को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया कि विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य न्यायालय में समयबद्ध एवं विधिक रूप से प्रस्तुत किए जाएँ, जिससे अभियोजन पक्ष मजबूत हो। गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि दर बढ़ाने के लिए अभियोजन

पक्ष को और सशक्त बनाएं जाने तथा विवेचना की गुणवत्ता को और अधिक सुदृढ़ किया जाने हेतु निर्देशित किया गया।

- **यक्ष एप** के उपयोग और उससे संबंधित कार्यवाहियों पर विस्तृत चर्चा की गई। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था एवं यातायात)महोदय द्वारा पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से इसकी प्रगति और चुनौतियों का आकलन किया गया। यक्ष एप पर अपराधियों के सत्यापन, जियो टैगिंग व अन्य कार्यवाही के संबन्धी में समीक्षा करते हुए **यक्ष एप को अपराधियों की पहचान, सत्यापन, जियो टैगिंग और निगरानी** का एक सशक्त उपकरण मानते हुए इसके प्रभावी उपयोग पर बल दिया गया। सभी सम्बन्धितों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे इस प्लेटफॉर्म को अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था सुदृढ़ीकरण के लिए प्राथमिकता से प्रयोग करें।
- **सीसीएमएस पोर्टल** के अनुसार दिनांक 01.01.2026 से 20.04.2026 तक धारा 129 बीएनएसएस के अन्तर्गत कार्यवाही एवं दिनांक 01.01.2026 से 20.04.2026 तक धारा 136 बीएनएसएस के अन्तर्गत सम्पत्ति संबन्धी एवं शरीर संबन्धी वादों में निर्गत किये गये अंतिम आदेश की समीक्षा की गई।
- **सीसीएमएस** के अनुसार **धारा 164 बीएनएसएस** के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही की समीक्षा की गई ।
- **बीट प्रणाली** के अन्तर्गत बीट उपनिरीक्षक एवं बी०पी०ओ० द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन सम्बन्धी कार्यवाही की समीक्षा की गई। बीट उपनिरीक्षक एवं बी०पी०ओ० द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में नियमित गश्त, उपस्थिति दर्ज करने और अपराधियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने, स्थानीय नागरिकों, व्यापारी वर्ग एवं समाज के अन्य वर्गों के साथ संवाद स्थापित कर पुलिस-जन सहयोग को मजबूत करने, बीट क्षेत्र में **सक्रिय अपराधियों, असामाजिक तत्वों एवं संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने और उनकी जानकारी यक्ष एप एवं सीसीटीएनएस** पर अद्यतन करने हेतु निर्देश दिए गए।
- दिनांक 20.04.2026 तक **लम्बित विवेचनाओं (सीसीटीएनएस पोर्टल के अनुसार)** के निस्तारण हेतु की गयी कार्यवाही की समीक्षा की गई। बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि विवेचनाओं का निस्तारण समयबद्ध, पारदर्शी और विधिक रूप से सुदृढ़ हो। सभी सम्बन्धितों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे **लंबित विवेचनाओं को प्राथमिकता से निस्तारित करें और सीसीटीएनएस पोर्टल पर अद्यतन प्रविष्टियाँ दर्ज करें।**
- दिनांक 01.01.2026 से 20.04.2026 तक **02 वर्षीय अपराध (सम्पत्ति सम्बन्धी एवं शरीर सम्बन्धी)** आंकड़ो की तुलनात्मक समीक्षा की गई।
- दिनांक 20.04.2026 तक वाहन **चोरी के अभियोगों के अनावरण एवं बरामदगी** की समीक्षा

- दिनांक 01.01.2026 से 20.04.2026 तक **02 वर्षीय तुलनात्मक निरोधात्मक कार्यवाही एवं महत्वपूर्ण अधिनियमों** के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई।
- **मिशन शक्ति अभियान** की प्रगति एवं प्रभावशीलता पर विस्तृत विमर्श किया गया। सभी थाना प्रभारियों एवं बीट अधिकारियों को **महिला सुरक्षा से संबंधित शिकायतों पर त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई सुनिश्चित करने**, स्कूल व विद्यालय एवं सार्वजनिक स्थलों पर महिला सुरक्षा एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, स्थानीय समाज, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं महिला समूहों के साथ समन्वय स्थापित कर मिशन शक्ति को जन-आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने पर बल दिया गया।
- अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों पर विचार-विमर्श/समीक्षा की गई।

इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य वर्तमान स्थिति का आंकलन कर कमिश्नरेट गाजियाबाद को और अधिक सुरक्षित, अपराधमुक्त, शांतिपूर्ण तथा नागरिक-अनुकूल बनाना है। गोष्ठी में अपराध दर में और अधिक कमी लाई जाने, कानून-व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु समस्त संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा समस्त थानों पर 'वादी संवाद दिवस' आयोजित किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में जनता को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद में **वादी संवाद नीति** लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बुधवार को सभी थानों पर **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया जाता है। जिसके क्रम में आज दिनांक **22.04.2026** दिन **बुधवार** को कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थानों पर पूर्व की तरह **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया गया।

वादी संवाद दिवस का उद्देश्य वादियों और पुलिस के बीच सार्थक संवाद स्थापित कर पारदर्शिता, विश्वास एवं शीघ्र न्याय की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करना है। जिसके क्रम में विवेचनाधीन अभियोगों (एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0) तथा गुमशुदगी से सम्बन्धित वादी को थाने पर आमंत्रित कर सम्बन्धित विवेचकों के साथ संवाद स्थापित करते हुए विवेचना की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति से अवगत कराते हुए वादियों के सभी प्रश्नों का उचित, तथ्यात्मक एवं संतोषजनक उत्तर देते हुए संतुष्ट किया गया।

आज दिनांक 22.04.2026 को आयोजित किये गए वादी संवाद दिवस का जोन वार विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	जोन	संवाद हेतु थानों पर उपस्थित आये वादियों की संख्या
1.	नगर	80
2.	ट्रांस हिण्डन	41
3.	ग्रामीण	98
कुल कमिश्नरेट गाजियाबाद		**219**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में **वादी संवाद दिवस** गाजियाबाद पुलिस की एक जन सरोकार आधारित पहल है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वादी को अपने प्रकरण की सही जानकारी समय पर मिले एवं उन्हें न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास और संतोष प्राप्त हो। यह नई पहल पुलिस व जनता के बीच आपसी सहयोग एवं विश्वास को और अधिक मजबूत करेगी। कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा जनकेन्द्रित पुलिसिंग के दृष्टिगत भविष्य में भी इसी प्रकार के नवाचार जारी रहेंगे।